रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 1977/फाल्गुन 24, 1898
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 1977/PHALGUNA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 15th March 1977

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No F. 1(15)-B(A/cs)/76 dated the 8th September, 1976 the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General, hereby relieves the Comptroller and Auditor General from the responsibility for compiling the accounts relating to taxes, duties and other receipts and deposits realised or refunded under any law for the time being in force and administered by the Department of Revenue and Banking including the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs

2 This Order shall come into force on the 1st day of April, 1977.

No F 1(15)-B(A/cs)/76

By order and in the name of the President

K N. ROW Jt Secy

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1977

सा० का० नि० 114 (अ).—नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उप धारा (1) के पहले उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश संख्या एफ० 1(15)—बी (एकाउट्स) 76 दिनांक 8 सितम्बर, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श कर इस आदेश द्वारा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को इस समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल किए गए या लौटाए गए और राजस्व तथा बैंकिंग विभाग द्वारा जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड शामिल है, प्रशासित करों, शुल्कों तथा अन्य प्राप्तियों तथा जमा रकमों से संबंधित लेखाओं के हिसाब किताब रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त करते हैं ।

2. यह आदेश पहली अप्रैल, 1977 से प्रवृत्त होगा ।

[स एफ० 1(15)—बी (एकाउन्ट्स)/76]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनकी ओर से ।

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977